कार्यालय कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

—:: आदेश ::—

क्रमांक / 179 / वित्त–स्था. / 2026 गरियाबंद, दिनांक 11 / 01 / 2026

प्रशासकीय दृष्टिकोण से **डॉ. तुलसीदास मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर** जिला गरियाबंद को आगामी आदेश पर्यन्त, **जिला कार्यालय गरियाबंद** में कार्य करने हेतु आदेशित किया जाता है।

02./ **श्री रामसिंह सोरी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवभोग** जिला गरियाबंद को आगामी आदेश पर्यन्त, अपने वर्तमान दायित्वों के साथ–साथ **अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) मैनपुर** का अतिरिक्त प्रभार सौपा जाता है।

11/1/2026

कलेक्टर,
जिला गरियाबंद

पृ.क्रमांक / 179-A / वित्त–स्था. / 2026 गरियाबंद, दिनांक 11 / 01 / 2026

प्रतिलिपिः—

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
03. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
04. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ।
05. सर्व तहसीलदार जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ।
06. सर्व विभाग प्रमुख जिला गरियाबंद की ओर सूचनार्थ।
07. सर्व संबंधित श्री .... की ओर सूचनार्थ।

11/1/2026.

कलेक्टर
जिला गरियाबंद

कार्यालय कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

—:: कारण बताओ सूचना पत्र ::—

क्रमांक / 180 / वित्त—स्था. / 2026 गरियाबंद, दिनांक 11 / 01 / 2026

प्रति,

श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.)
डिप्टी कलेक्टर / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर
जिला गरियाबंद

विषय :— कारण बताओ सूचना पत्र।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके न्यायालय का आदेश क्रमांक / 1480 / अ.वि.अ. / वा. —01 / 2025 मैनपुर, दिनांक 29.12.2025 के द्वारा आवेदक ग्रामवासी उरमाल थाना देवभोग तहसील अमलीपदर विकासखंड मैनपुर जिला गरियाबंद को ग्राम उरमाल में स्थित भूमि ख.न. 418 / 5 के रकबा 0.2400 हे. शासकीय भूमि हाई स्कूल के नाम पर दर्ज भूमि में अपेरा नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम आयोजन हेतु दिनांक 05.01.2026 से 10.01.2026 तक आपके द्वारा अनुमति प्रदान किया गया है। आपके द्वारा शासन नियम निर्देशो को ताक में रखकर स्थानीय पुलिस थाना से कार्यक्रम के संबंध में कोई प्रतिवेदन लिए बिना ही अनुमति दिया गया है।

विशेष उल्लेखनीय है कि आपके विरूध्द यह गंभीर तथ्य संज्ञान में आया है कि दिनांक 05.01.2026 से 09.01.2026 तक लगातार 4 दिन अश्लील डांस, नृत्य चलते रहा जिसमें आपके स्वंय उपस्थित होकर अश्लील डांस नृत्य संगीत मूक दर्शक बनकर देखने का छायाचित्र समाचार पत्रों / सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से वायरल हुआ है। आपके द्वारा किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही नहीं किया गया स्वंय कार्यपालिक दण्डाधिकारी होते हुए भी ऐसे कार्यक्रम देखते रहें। एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जैसे उत्तरदायी एवं गरिमामयी पद पर आसीन शासकीय सेवक द्वारा किया जाना अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय एवं अनुशासहीन हैं। आपका उक्त कृत्य न केवल प्रशासनिक अनुशासन एवं कार्यकुशलता के विरूध्द है, अपितु अनुभाग में अनुशासन एवं व्यवस्था बनाए रखने के उत्तरदायित्व की उपेक्षा भी है। उक्त कृत्य स्वेच्छाचारिता का घोतक तथा “कर्तव्य परायणता” व पूर्ण रूप से सनिष्ठ रहने के प्रयुक्ति के विपरीत उदासीनता तथा कर्तव्य के प्रति हल्केपन को प्रदर्शित करता हैं, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत हैं।

अतः उक्त संबंध में आप स्पष्टीकरण 24 घंटे के भीतर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में उपस्थिति होकर प्रस्तुत करें। समय—सीमा अथवा संतोषप्रद जवाब प्राप्त नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव उच्च कार्यालय की ओर प्रेषित की जावेगी जिसके लिए आप स्वतः जिम्मेदार होगें।

संलग्न :— यथोपरि।

11/1/2026

कलेक्टर,
जिला गरियाबंद

पृ.क्रमांक / 186-A / वित्त–स्था. / 2026 गरियाबंद, दिनांक 11 / 01 / 2026

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

02. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।

11/1/2026

कलेक्टर

जिला गरियाबंद

कार्यालय कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

—:: ज्ञापन ::—

क्रमांक / 181 / वित्त–स्था. / 2026 गरियाबंद, दिनांक 11 / 01 / 2026

प्रति,

01. तहसीलदार,
अमलीपदर जिला गरियाबंद
02. थाना प्रभारी,
देवभोग

विषय :– संयुक्त जॉच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि **श्री तुलसीदास मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर** जिला गरियाबंद द्वारा दिनांक 05.01.2026 से 09.01.2026 तक लगातार 4 दिन अश्लील डांस, नृत्य चलते रहा जिसमें उनके द्वारा स्वयं उपस्थित होकर अश्लील डांस नृत्य संगीत मूक दर्शक बनकर देखने का छायाचित्र समाचार पत्रों / सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से वायरल हुआ है। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 10.01.2026 को रात्रि में आपको उक्त कार्यक्रम में उपस्थित होकर जॉच करने निर्देशित किया गया।

उक्त संबंध में ग्रामवासी का पंचनामा सहित आपसी समन्वय कर संयुक्त जॉच प्रतिवेदन तैयार कर 24 घंटे के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

11/1/2026

कलेक्टर,
जिला गरियाबंद(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला गरियाबंद (छत्तीसगढ़)

—:: आदेश ::—

क्रमांक / 182 / वित्त—स्था. / 2026 गरियाबंद, दिनांक 11 / 01 / 2026

श्री तुलसीदास मरकाम (रा.प्र.से.) के विरूध्द यह गंभीर तथ्य संज्ञान में आया है कि श्री तुलसीदास मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर जिला गरियाबंद द्वारा दिनांक 05.01.2026 से 09.01.2026 तक लगातार 4 दिन अश्लील डांस, नृत्य चलते रहा जिसमें वह स्वयं उपस्थित होकर अश्लील डांस नृत्य संगीत मूक दर्शक बनकर देखने का छायाचित्र समाचार पत्रों / सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर व्यापक रूप से वायरल हुआ है। एक कार्यपालिक मजिस्ट्रेट जैसे उत्तरदायी एवं गरिमामयी पद पर आसीन शासकीय सेवक द्वारा किया जाना अत्यंत निंदनीय, अशोभनीय एवं अनुशासहीन हैं। श्री मरकाम के उक्त कृत्य से जिला प्रशासन की छवि पूर्णतः धूमिल हुई है।

अतएव उक्त वायरल समाचार के संबंध में जॉच हेतु **श्री पंकज डाहिरे, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला गरियाबंद** को जॉच अधिकारी नियुक्त किया जाता है। जॉच अधिकारी निम्न बिन्दुओं पर जॉच प्रतिवदेन प्रस्तुत करेः—

01. क्या न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर जिला गरियाबंद द्वारा उक्त कार्यक्रम हेतु विधिवत् अनुमति दिया गया है ?
02. यदि अनुमति दी गई है तो स्थानीय तहसीलदार अमलीपदर तथा थाना प्रभारी से कार्यक्रम से संबंध में कोई प्रतिवेदन लिया गया है ?
03. आवेदक ग्रामवासी अमलीपदर से कार्यक्रम से संबंधित विस्तृत विवरण लिया गया है ?
04. क्या दिनांक 05.01.2026 से 09.01.2026 तक लगातार 4 दिन अश्लील डांस, नृत्य चलते रहा जिसमें वह स्वयं उपस्थित होकर कार्यक्रम को रोकने संबंधी कोई कार्यवाही किया गया है ?
05. श्री तुलसीदास मरकाम, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मैनपुर का उक्त कृत्य किन परिस्थितियों में किया गया है ?
06. भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो सुझाव दे।

अतएव उपरोक्त बिन्दुओ के संबंध मे तथ्यात्मक जॉच प्रतिवेदन 02 दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे

संलग्न :— यथोपरि।

11/1/2026

कलेक्टर,
जिला गरियाबंद

कार्यालय तहसीलदार अमलीपदर, जिला गरियाबंद(छ.ग.)

//प्रतिवेदन//

क्रमांक/22/तह./तह./2026 अमलीपदर,दिनांक 11/01/2026

प्रति,

कलेक्टर
जिला – गरियाबंद(छ.ग.)

विषयः– न्यूज वेब साईड NNH (NATION NEWS HINDI) में मनोरंजन के नाम पर एसडीएम, जनप्रतिनिधि, पुलिसकर्मियो की मौजूदगी में अर्धनग्न अश्लील डांस के संबंध में प्रतिवेदन बाबत्।

——000——

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि ग्राम उरमाल थाना देवभोग तहसील अमलीपदर में दिनांक 05.01.2026 से 10.01.2026 तक अपेरा (नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम) हेतु अनुमति अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैनपुर के द्वारा आदेश क्रमांक/480/अ.वि.अ./वा./2025 मैनपुर दिनांक 29/12/2025 को जारी की गई। अपेरा (नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम) के दौरान अर्धनग्न महिलाओं से अश्लील डांस कराया जा रहा था। जिसका विडियों वायरल होने पर दिनांक 10.01.2026 को कलेक्टर महोदय के द्वारा दुरभाष के माध्यम से तहसीलदार अमलीपदर को अपेरा (नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम) को बंद कराने के निर्देश प्राप्त हुए। मौके पर तहसीलदार अमलीपदर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय गरियाबंद के निर्देश पर थाना देवभोग का पुलिस बल की उपस्थिति में पंचनामा बनाकर अपेरा (नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम) को आयोजक समिति ग्राम उरमाल एवं अपेरा (नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम) के मैनेजर को कार्यक्रम बंद करने का निर्देश दिया गया तथा तत्काल मंच, टेन्ट एवं कुर्सियों को हटावाया गया। तथा कार्यक्रम के दौरान उपस्थित दर्शक तुलेश्वर पिता पितान्बर यादव उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम कुम्डईकला तहसील व थाना देवभोग का कथन लिया गया। दर्शक के द्वारा अपने कथन में दिनांक 09.01.2026 को कार्यक्रम में उपस्थित होना तथा उक्त कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैनपुर श्री तुलसी दास मरकाम की उपस्थिति की पुष्टि की गई।

अतः प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

संलग्न :–

1. पंचनामा की छायाप्रति।
2. दर्शक के कथन की छायाप्रति।

थाना प्रभारी
देवभोग

तहसीलदार
अमलीपदर

Scanned by CamScanner

—o—

आज दिनांक 10/01/26 को ग्राम उरमाल में ग्रामवासियों उरमाल थाना देवभोग तहसील अमलीपदर जि.खं. मैनपुर के द्वारा अपने ग्राम में स्थित भूमि खसरा 418/5 रकबा 0.24 हे. शासकीय भूमि पर अपेरा (नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम) दिनांक 05/01/26 से 10/01/26 समय 05 बजे से 05.00 बजे तक कराने हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदन दिया गया जिसमे अनुविभागीय अधिकारी (रा.) मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) आदेश क्रमांक 1480/अविअ/बा./2025 मैनपुर दिनांक 29/12/25 को अनुमति का आदेश दिया गया था। कलेक्टर महोदय जिला गरियाबंद के निर्देशानुसार आज दिनांक 10/01/26 को राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, एवं ग्रामवासी के सहमती से अपेरा (नृत्य नाटक संगीत कार्यक्रम) को बंद कराया गया। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया।

(हस्ताक्षर)
प्र. तहसीलदार

(हस्ताक्षर)